



रजिस्टर्ड/सीलड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1224/2026/682/22-2-2026-17(347)/2026
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजीत मिश्र (बन्दी सं0-1264/2025) पुत्र श्री राम बरन मिश्र, जो ग्राम-पर्वतपुर, थाना-जैतपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-74/2011, भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर के दण्डादेश दिनांक 06.10.2025 द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.10.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 07 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 07 माह, 10 दिन की सजा भोगी जाने, संतोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1224/2026/682(1)/22-2-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।